न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2021/291 दर्ज तिथिः–05.08.2021

1. गोपाल पुत्र नानगा जाति मीना उम्र 40 साल निवासी हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू–स्वामी तहसीलदार साहब जर्ये तहसीलदार साहब थानागाजी जिला अलवर राज0

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री के0 के0 शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076–79 वाके ग्राम हमीरपुर हाल आराजी खसरा नम्बर 214/0.01 है0, 215/0.09 है0, 216/0.19 है0, 224/0.23 है0, 226/0.33 है0 तथा 448/0.52 है0, 449/0.30 है0, 450/0.83 है0, 451/0.32 है0, 403/0.45 है0 वाके ग्राम हमीरपुर में स्थित है। हाल खसरा नम्बर 214/0.01 है0 के साबिक खसरा नम्बर 197/1 रकबा 08 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 216/0.19 है0 के साबिक खसरा नम्बर 196/2 रकबा 15 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 224/0.23 है0 के साबिक खसरा नम्बर 209 रकबा 18 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 226/0.33 है0 के साबिक खसरा नम्बर 208 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 448/0.52 है0 के साबिक खसरा नम्बर 395 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 449/0.30 है0 के साबिक खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 450/0.83 है0 के साबिक खसरा नम्बर 398 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 451/0.32 है0 के साबिक खसरा नम्बर 400 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 द्वारा कायम किये गये है। साबिक आराजी के खातेदार नानगा वल्द मांगू की विरासत प्रार्थी गोपाल पुत्र नानगा जरिये इन्तकाल संख्या–77 दिनांक 09.12.1978 द्वारा सही दर्ज की गई [illegible] की जमाबंदियों मे प्रार्थी के नाम का अंकन गोपाल पुत्र नानगा के स्थान पर गोपाल पुत्र मांगू अंकित कर दिया गया है। जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:50 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र नानगा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या 261 तथा खाता संख्या–105 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
गोपाल पुत्र मांगू जाति मीना साकिन देह खातेदार	105	214	0.01 है0
		215	0.09 है0
		216	0.19 है0
		224	0.23 है0
		226	0.33 है0
गोपाल पुत्र मांगू हिस्सा–1/12 जाति मीना साकिन देह खातेदार बाकी इन्द्राज बदस्तूर	261	403	0.45 है0
		448	0.52 है0
		449	0.30 है0
		450	0.83 है0

4. इस प्रकार शामिल मिसल नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 09.12.1978 वाके ग्राम हमीरपुर का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

किता	रकबा	पूर्व की प्रविष्टि	पश्चात की प्रविष्टि
02	01 बीघा 13 बिस्वा	**नानगा वल्द मांगू** कोम मीणा सा. देह खातेदार	**गोपाल पुत्र नानगा** कोम मीणा सा. देह
02	01 बीघा 13 बिस्वा		

इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 09.12.1978 वाके ग्राम हमीरपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि नानगा वल्द मांगू की विरासत गोपाल पुत्र नानगा के नाम दर्ज होकर अमल किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में गोपाल पुत्र नानगा अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:50 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज का विवरण	नाम
बैंक की पासबुक	गोपाल पुत्र नानगा
परिवार राशन कार्ड	गोपाल पुत्र नानगा
आधार कार्ड	गोपाल पुत्र नानगा
जनाधार कार्ड	गोपाल पुत्र नानगा
विद्युत उपभोग बिल	गोपाल पुत्र नानगा

इस प्रकार उपर्युक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोपाल पुत्र नानगा के नाम वर्तमान दस्तावेजों में अंकित है।

6. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–
   - *किन्तु जमाबंदी संवत्–2032–35 में उक्त नामान्तकरण 77 का अमल करते समय प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र नानगा के स्थान पर गोपाल वल्द मांगू दर्ज कर दिया गया।*
   - *प्रार्थी के सभी पहचान पत्रों में भी प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र नानगा दर्ज है।*
   - *अतः नामान्तकरण संख्या 77 व पहचान दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र मांगू के स्थान पर गोपाल पुत्र नानगा किया जाना उचित है।*

7. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि हाल जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी में प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी प्रार्थी की आराजी का विवरण बिन्दु संख्या–3 के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में गोपाल पुत्र नानगा अंकित है जो बिंदू संख्या–6 में वर्णित है। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 09.12.1978 वाके ग्राम हमीरपुर का सही अमल जमाबंदी संवत्–2035 में नहीं किया गया। साथ ही तहसीलदार थानागाजी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी नाम पूर्व में जमाबंदी में दर्ज करते समय भूल के कारण गोपाल पुत्र नानगा के स्थान पर गोपाल पुत्र मांगू दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

*प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 09.12.1978 वाके ग्राम हमीरपुर, अन्य पहचान दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **गोपाल पुत्र मांगू** को कलमजन कर **गोपाल पुत्र नानगा** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:50 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)